न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1 राजगढ़, जिला–अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल, *R.J.S.*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 157 / 24
सी.आई.एस. नम्बर : 277 / 2024
एफआईआर संख्या : 311 / 2023
पुलिस थाना : राजगढ़
राजस्थान राज्य **बनाम** बलराम

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 324 भा.दं.सं.

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	श्री रामस्वरूप
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	01. बलराम पुत्र सुल्तान मीना निवासी सुरेर, राजगढ जिला अलवर राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री भगवती प्रसाद मीना

ब

अपराध की तारीख	16.06.2023
एफआईआर की दिनांक	17.06.2023
चालान पेश करने की दिनांक	22.04.2024
आरोप लगाने की दिनांक	25.11.2024
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांक 21.03.2025 समाप्ति दिनांक 16.03.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	16.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	16.03.2026

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	बरी या सजा	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्वेश्य के लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि
1.	बलराम	—	—	323, 341, 324 आई. पी. सी.	धारा 323, 341 आई. पी. सी. में दोषसिद्ध व धारा 324 में दोषमुक्त	परीविक्षा अधिनियम का लाभ	—

भाग –2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डबल्यू 01	रामस्वरूप	फरियादी
पी.डबल्यू 02	सीताराम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 03	खेमचंद	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 04	लटूर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 05	पप्पूराम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 06	धारा सिंह	अनुसंधान अधिकारी

पी.डबल्यू 07	डॉ0 निशा नरेरा	चिकित्सीय साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 03	नक्शामौका
4	प्रदर्श पी 04	चोट प्रतिवेदन रामस्वरूप

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान रामस्वरूप
2	प्रदर्श डी 2	पुलिस बयान खेमचंद

नि र्ण य

दिनांकः 16.03.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामस्वरूप ने इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ में पेश की कि दिनांक 16.06.2023 को रात करीब 11.30 बजे रिपोर्टकर्ता अपने ट्रेक्टर व जे.सी.बी. मशीन लेकर सुरेर सरपंच के भरत के लिये गया था। उस समय सरकारी स्कूल व यूआईटी केंद्र पर पहुंचा तो बलराम व उसके साथ अन्य चार–पांच लोगों ने मिलकर रिपोर्टकर्ता के साथ मारपीट की तथा उसके एक लाख दस हजार रूपये निकाल लिये.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ द्वारा एफआईआर संख्या 311 / 2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 341, 324 आईपीसी का न्यायालय में पेश किया गया। आरोपपत्र में वर्णित धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

02. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 324 आईपीसी के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

04. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये कि अभियोजन ने समस्त अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध किया है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

दौरान बहस अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी अपनी लिखित रिपोर्ट से भिन्न कथन अपनी साक्ष्य में करता है। मुलजिम ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

05. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.06.2023 को रात्रि करीब 11.30 बजे जब परिवादी रामस्वरूप जेसीबी मशीन से सुरेर सरपंच के भरत के लिये गया था तब उसे सदोष अवरोध कारित कर परिवादी के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी के तेज धारदार हथियार से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

2. यदि हॉ तो उनके उपयुक्त दण्ड क्या होंगे ?

06. उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है।

07. यह प्रकरण परिवादी रामस्वरूप के द्वारा पुलिस थाना राजगढ के समक्ष प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है। तहरीरी रिपोर्ट को लेकर न्यायालय के समक्ष सबसे अहम गवाह स्वयं रिपोर्टकर्ता रामस्वरूप पी डबल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने तमाम उन्हीं कथनों को दोहराया है जो कि रिपोर्ट में अंकित है। गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान कथन कहे हैं कि दिनांक 16.06.2023 को रात्रि करीब 11 बजे वह सुरेर सरपंच के भरत करने के लिये जेसीबी व ट्रेक्टर के साथ गया था तब सुरेर गांव के सरकारी स्कूल के पास सर्किल पर बलराम व अन्य 4—5 लोग जेसीबी के आगे लेट गये और रोक लिया। गवाह ने उनको जाकर पूछा कि क्यों रोक रहे हो ? तो इन सभी लोगों ने गवाह के साथ लात—घूसों से मारपीट की तथा गवाह को पकड लिया। बलराम ने गवाह के पीठ पर मुंह से बटका भर लिया, जिससे घाव हो गया। इसके अलावा गवाह के बायें हाथ के पंजे पर अंगूठे के पास भी उसने दांत से बटका भर लिया। बीच—बचाव खेमचंद व सीताराम ने किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है। गवाह की चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है। इन तमाम फर्दात पर गवाह के हस्ताक्षर है।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह की गयी है। दौराने जिरह गवाह ने बताया कि मुलजिम ने उसके साथ बिना किसी बात के मारपीट की थी। गवाह मोटरसाईकिल से जेसीबी—ट्रेक्टर के साथ जा रहा था। उस समय

गवाह ना तो जेसीबी चला रहा था ओर ना ही ट्रेक्टर चला रहा था। गवाह ने रिपोर्ट 17 तारीख को दी थी। मुलजिम ने पकडकर गवाह के बटका भर लिया व लात घूसों से मारपीट की। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग गलत है। उस समय रात के 11 बज रहे थे। गवाह ने यह स्पष्ट बताया कि उसका मेडिकल दूसरे–तीसरे दिन हुआ था।

इस प्रकार इस गवाह रिपोर्टकर्ता की साक्ष्य के अवलोकन किया जावे तो गवाह ने स्वयं के साथ बलराम के द्वारा मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। गवाह ने यह भी बताया है कि बलराम ने उसके पीठ पर मुंह से बटका भर लिया तथा उसके अलावा उसके बायें हाथ के पंजे पर अंगूठे के पास भी उसने दांत से बटका भरा था। गवाह के इन कथनों का कोई भी खण्डन पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है।

08. न्यायालय के समक्ष बीच–बचाव करने वालों में सीताराम पी डबल्यू 02 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तमाम उन्हीं कथनों को दोहराया है जो रिपोर्टकर्ता अपनी मुख्य परीक्षा में करता है। गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान नक्शामौका को प्रदर्श पी 03 के रूप में प्रदर्शित करवाया है तथा इस पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

इस गवाह से भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह की गयी। गवाह ने जिरह में बताया कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुये थे। गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर उसके खाली पर हस्ताक्षर करवाये हो।

इस प्रकार मौके के गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा में रामस्वरूप के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में खाक्ष्य दी है जो कि अखण्डनीय रही है। गवाह ने यह भी बताया है कि बलराम ने रामस्वरूप में पीठ पर मुंह से बटका भर लिया और बायें हाथ के पंजे पर अंगूठे के पास भी उसने दांत से बटका भरा था।

09. इसी अनुक्रम में खेमचंद न्यायालय के समक्ष पी डबल्यू 03 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने तमाम उन्हीं कथनों को दोहराया है जो कि गवाह पी डबल्यू 01 रामस्वरूप रिपोर्टकर्ता ने कहे थे। गवाह ने नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

इस गवाह ने दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में बताया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का ए से बी व सी से डी भाग गवाह ने नहीं लिखवाया।

इस संबंध में यदि पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 के सी से डी हिस्से का अवलोकन किया जावे तो यह मुलजिम बलराम द्वारा रामस्वरूप के साथ मारपीट करने को लेकर है, जिसको गवाह ने सिरे से इंकार किया है, इसलिये इस गवाह की साक्ष्य से अपराध में मुलजिम की संलिप्तता जाहिर नहीं होती है।

10. इसी अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष लटूर पी डबल्यू 04 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान रिपोर्टकर्ता रामस्वरूप के कथनों का ही दौहराव किया है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने बताया कि गवाह को मारपीट करने वालों का नाम–पता नहीं पता था। गवाह ने वहां पर बलराम का नाम सुना था। गवाह मारपीट करने वालों को नहीं जानता।

इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के दौरान जिरह में जो कथन आये हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि गवाह मारपीट करने वाले का नाम नहीं जानता था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य खण्डनात्मक प्रकृति की है जो कि अभियोजन को कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

11. न्यायालय के समक्ष इसी अनुक्रम में परीक्षित पप्पूराम पी डबल्यू 05 की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पप्पूराम की साक्ष्य की स्थिति पी डबल्यू 04 लटूर की भांति ही हैं तथा इस गवाह ने मारपीट करने वालों के नाम पता नहीं होने, ना ही उन्हें जानने के कथन किये हैं, इसलिये इस गवाह की साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष की समर्थनकारी नहीं है।

12. प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी धारा सिंह पी डबल्यू 06 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान बताया है कि दिनांक 17.06.2023 को मुकदमा नंबर 311 / 23 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 379 आईपीसी की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुयी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 मुस्तगीस की निशादेही से कसीद किया था। अनुसंधान के क्रम में समस्त गवाहान के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। मजरूब रामस्वरूप के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम बलराम के विरूद्ध धारा 323, 341, 324 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार प्रकरण के समस्त गवाहों की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो न्यायालय के समक्ष गवाह पी डबल्यू 01 रामस्वरूप व पी डबल्यू 02 सीताराम ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान बलराम के द्वारा मारपीट किये जाने तथा परिवादी को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किये जाने की साक्ष्य दी है। हालांकि प्रकरण में गवाह पी डबल्यू 03 खेमचंद, पी डबल्यू 04 लटूर व पी डबल्यू 05 पप्पूराम की साक्ष्य न्यायालय के विवेचनानुसार खण्डनीय रही है, इसलिये इन तीनों गवाहान की साक्ष्य अभियोजन पक्ष की समर्थनकारी नहीं है, लेकिन जो गवाह पी डबल्यू 01 रामस्वरूप व पी डबल्यू 02 सीताराम परीक्षित हुये हैं, उनकी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की समर्थनकारी है।

13. अब न्यायालय को यह देखना है कि परिवादी रामस्वरूप के शरीर पर चोट आई थी या नहीं ? इस संबंध में चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। चिकित्सीय साक्षी पी डबल्यू 07 डॉ0 निशा नरेरा न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुयी है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह बताया है कि दिनांक 19.06. 2023 को उन्होंने रामस्वरूप के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया, जिसमें मजरूब के 3 चोट आई थी। चोट नंबर 1 दायें कंधे की भुजा पर दांत से काटने का निशान। चोट नंबर 2

दर्द के साथ सूजन, ललाट पर भौंह के उपर बायीं तरफ। चोट नंबर 3 बायें हाथ की हथेली पर, इंडेक्स फिंगर व Thumb के बीच में चोट है।

परीक्षित चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो चिकित्सीय साक्षी ने दायें कंधे पर दांत से काटने के निशान बताये हैं। पत्रावली पर जो तमाम गवाहान परीक्षित हुये हैं उनमें से किसी ने भी कंधे पर दांत से काटने के बारे में नहीं बताया हैं, लेकिन परीक्षित गवाहों ने बायें हाथ के पंजे पर अंगूठे के पास काटने का निशान बताया है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 में चोट नंबर 3 बायें हाथ की हथेली पर है, लेकिन यह चोट किसी धारदार हथियार से अथवा काटने से आई हो, ऐसा कोई अंकन चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 में नहीं है। इसी प्रकार पीठ पर चोट आने का अंकन भी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 में ना होकर कंधे पर चोट आने का अंकन है।

इस प्रकार सशपथ गवाहान के द्वारा कंधे पर काटने की कथन नहीं करना तथा बायें हाथ की हथेली पर अंगूठे के पास धारदार हथियार से चोट नहीं आना यह स्पष्ट करता है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि मुलजिम बलराम ने रामस्वरूप के धारदार हथियार अथवा दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी हो, लेकिन अभियोजन द्वारा जो चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें चोट संख्या 2 व 3 कुंद हथियार से आना तथा साधारण प्रकृति की होना स्पष्ट है। इसलिये यह स्पष्ट है कि मुलजिम बलराम ने मजरूब रामस्वरूप के कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मुलजिम बलराम ने रामस्वरूप को दिनांक 16.06.2023 को रात्रि करीब 11 बजे निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया। लिहाजा अभियुक्त बलराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना तथा आईपीसी की धारा 324 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

14. अतः अभियुक्त बलराम पुत्र सुल्तान मीना निवासी सुरेर, राजगढ जिला अलवर राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

(नवीन कुमार झरवाल)

: सजा का बिन्दु :

15. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं उनके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि या आदतन अपराधी होने बाबत् कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ दिये जाने का निवेदन किया।

जिसका विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया और अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध के लिये उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

16. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की किसी दोषसिद्धि का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व अभियुक्त की आयु को देखते हुये अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: दंडादेश :

17. अतः अभियुक्त बलराम पुत्र सुल्तान मीना निवासी सुरेर, राजगढ जिला अलवर राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए दस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका व इसी राशि की जमानत न्यायालय में इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे कि वे इस अवधि में अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा, समाज में शांति एवं सदाचार बनाये रखेंगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित हो जाएगा तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जावे।

साथ ही आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त 800/– रूपये (शब्देन आठ सौ रुपये)अभियोजन व्यय स्वरूप जमा करायेगा।

धारा 437ए द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभूति सहित जमानत बन्ध–पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बन्ध–पत्र छः मास तक प्रवृत रहेगा, जो आदेशानुसार जमा करवाये गये तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में परीविक्षा का लाभ न लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली रहे।

(नवीन कुमार झरवाल)

18. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)